राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	199/2024 **जितेन्द्र बनाम नारायण** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम पर सुनी गयी। उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/06/2023 पारित करते हुए तहसीलदार आमेर को आदेशित किया गया कि ग्राम आमेर, पटवार हल्का आमेर, भू.अ.नि.क्षे. आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या नया 147 पुराना 124 के खसरा नम्बर 6246 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6310 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6320 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6321 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6328 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6329 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6331 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6365/9113 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 142 पुराना 120 के खसरा नम्बर 6298/9023 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6307/9036 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6310/9196 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6311 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6330/9028 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6332 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6333 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6334 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6353 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6354 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6356 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6356/9115 रकबा 0.0700 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 1.1100 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियम 18 से 21 (राजस्व मण्डल अजमेर) की पालना करते हुये राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उभयपक्षकारान की मौजूदगी में स्वयं उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/06/2023 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर आज उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया मयर एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस प्रश्नाधीन भूमि के सन्दर्भ में ही अधीनस्थ	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जितेन्द्र बनाम नारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय के समक्ष पूर्व में अन्य वाद प्रस्तुत होना एवं अभी भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होना जाहिर हुआ है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/06/2023 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद के निस्तारण हेतु अनिवार्य विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये जवाब दावा प्राप्त कर साक्ष्य हेतु पक्षकारान को समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान प्रकरण के तथ्यों का परिक्षण करते हुये विस्तुत विवेचनात्मक प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।